



कार्यालय: प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड, देहरादून 248001, फोन नं० 01352740926

Email: pccfvnpanchayat@gmail.com


पत्रांक- 144 / 18-5

दिनांक 12-8-2021

### कार्यालय ज्ञाप

सहत प्रबन्ध योजना के सुधार के संबंध में इस कार्यालय की पत्र सं० 112/18-5 दिनांक 06.08.2021 द्वारा जारी कार्यवृत्त के बिंदु 10 में वन पंचायत के संसाधनों/सम्पत्ति से स्थानीय लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होने पर अंशदान के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत द्वारा अलग से निर्देश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके क्रम में निर्देश निम्नानुसार हैं :-

पंचायत के संसाधनों/सम्पत्ति से स्थानीय लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त की दशा में अंशदान की व्यवस्था हेतु प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं० P.O./50/13-2(2) दिनांक 02.08.2014 द्वारा कैट प्लान के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

 12/8/21


(ज्योत्सना सितलिंग)

प्रमुख वन संरक्षक

वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त संबंधित वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

 12/8/21


प्रमुख वन संरक्षक

वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 144 / 18-5 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन, उत्तराखण्ड।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाए, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल एवं कुमाऊं।


 12/8/21

प्रमुख वन संरक्षक

वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 144 / 18-5 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड को उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

 12/8/21

प्रमुख वन संरक्षक

वन पंचायत, उत्तराखण्ड।